25/9/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अशोक व शैलेन्द्र अनु०। उनकी ओर से व शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्त श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

अनुपस्थित आसेपीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण कमिटल तर्क हेतु नियत है।

उमयपक्षों के कमिटल तर्क सुने गये। प्रकरण का अक्लोकन किया। अमियोजन कथा के अनुसार दिनांक 16.11.16 को 8:30 बजे फरियादी कल्यानसिंह एवं रामवरन हसेलियापुरा मौजे में सरसों के खेत में पानी दे रहे थे THE PURE

## Order Sheet [Contd]

Case No. 45.8 146

Date of Order or Proceeding WITCH CO. C. C. C. C. C. C.

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Penders where recessary

पास में ही आरोपी महेन्द्र व वीरेन्द्रसिंह का खेत हैं। महेन्द्रसिंह न फारेकार का पानी बंद अपने खेत में पानी खोल दिया। रामवरन ने कहाकि उसका पानी क्यों बंद कर दिया। इसी बात पर महेन्द्र व वीरेन्द्र मा बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना दित्या तो महेन्द्र ने कुठाड़ी रामवरन के सिर में मारी जिससे चोट होकर खून निकल आया धर्मवीर नाबरन को बधाने आया तो वीरेन्द्र ने कुल्हाड़ी व लाढ़ी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया। जगदीश, शैलेन्द्र, गिर्राज, अशोंक ने फरियादी व रामवरन धर्मवीर की मारपीट इण्डों व लातधूंसों से की जिससे फरियादी, रामवरन, धर्मवीर की शरीर में जगह जगह चोटें आई। मौके पर गजेन्द्र, राजू निवासी जटपुरा के धे जिन्होंने बीच बचाव किया व घटना देखी। जाते समय आरोपीगण कह रहे भें कि मादरचोद आज तो बच गया आईदा खेत में पानी देने आया तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट धाना गोहद में की जिस पर से अप0क0—339 / 16 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अमियीगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध मादिक की घारा 326 के अधीन अभिकागपत्र पेश किया गया है। उक्त धार के अधीन विचारण का एक मात्र क्षेत्रविकार मान० सत्र न्यायालय को है। अतः मामला विचारण हेतु मान० सत्र न्यायालय को उपार्थित किया जाता है।

प्रकरण में द०प्र०स0 की घास 207 के अधीन अमियोगपत्र एवं सलान दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनाक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुब्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करें। साथ ही लोक अमियोजक को उपांपण सब्दी सूचना मेजी जाए।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जप्तशुदा सर्पादा को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु मेजी जाए।

अमियुक्त यदि अमिस्सा में रहे हो तो उनके अमिरक्षा अविध का प्रमाण एत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

आरोपीगण जमानत पर है। अत अमियुक्तगम को निर्देशित विया गया कि वे आगामी दिनाक पर मान० प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोंडद में उपस्थित एहे।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के सम्बा अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनाक 09.10.17 को पंश हो।

Judicial Mag Shete that and Gobal distribilities (1872)